संख्या: 7/2020/84 /सत्रह-म-2020-6-9 (2)/20219

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 17 फरवरी, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में 800-अन्य व्यय, 03-अनुसंधान सामान्य के उपमद 01-वेतन से ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना,20- राज्य सहायता (गैर वेतन) में पुनर्विनियोग/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-530 नि0शा0/,2019-20, दिनांक 28.01.2020 तथा उसके साथ बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत जनपद सुल्तानपुर में 01 आर0ए0एस0 की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 800-अन्य व्यय, 03- अनुसंधान सामान्य के उपमद 01-वेतन से ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना,20-राज्य सहायता (गैर वेतन) में धनराशि रू0 28.20 लाख का पुनर्विनियोग कराये जाने तथा ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित बजट धनराशि कुल रू0 4195.78 लाख में से अवशेष बजट धनराशि रू0 1.80 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 30.00 लाख (केन्द्रांश रू0 18.00 लाख + राज्यांश रू0 12.00 लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 800-अन्य व्यय, 03-अनुसंधान सामान्य के उपमद 01-वेतन में हो रही बचतों से ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, 20- राज्य सहायता (गैर वेतन) में धनराशि रू0 28.20 लाख का पुनर्विनियोग करते हुए संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्रानुसार तथा ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित बजट धनराशि में से अवशेष बजट धनराशि रू0 1.80 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र) (केन्द्रांश रू0 18.00 लाख + राज्यांश रू0 12.00 लाख) की धनराशि को निम्न तालिकानुसार 01 परियोजना में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/वित्त पोषण (के0+रा0+ला0)	श्रेणी	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	परियोजना लागत	अनुमन्य अनुदान	सामान्य मद में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 2268.712 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि			अभ्युक्ति
							केन्द्रांश	राज्यांश	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना (के036%+रा0 24%+ला040%)	महिला	1	50.00	50.00	30.00	18.00	12.00	30.00	मत्स्य निदेशालय के पत्र संख्या- 530/ नि0शा0/ 2019-20 दिनांक 28.01.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये **एनेक्जर-1** के अनुसार
	कुल योग						**18.00**	**12.00**	**30.00**	

(रू0 तीस लाख मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या- 2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देर्शो व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर / बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षकों में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(5) मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेण्डर /जेम पोर्टल विषयक दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 तथा शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) भारत सरकार के पत्रांक जे0-18001/1/2017- एफवाई दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर- 3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्मका उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यक्तानुसार ही किया जायेगा।

(12) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(14) बचत की मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

(15) जिस मद हेतु वस्तुत: धनराशि पुनर्विनियोग की गयी है,धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य न होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,-0102- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, 20- राज्य सहायता (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या- ई-1-117-दस-2020 दिनांक 14 फरवरी,2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या- 7/2020/ 84(1) /सत्रह-म-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 दो प्रतियों में) /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्ताव-158 देखें)

अनुदान संख्या- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध (मत्स्य) **वित्तीय वर्ष 2019-20**

प्रपत्र बी0एम0-9

(धनराशि रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।**	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन प्रपत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग(2-5)
1	2	3	4	5	6
2405-मछली पालन-800-अन्य व्यय, 03-अनुसंधान सामान्य 01-वेतन (240500800030001)	**5568.38**	**1502.32**	**28.20**	**28.20**	**5540.18**
योग-	**5568.38**	**1502.32**	**28.20**	**28.20**	**5540.18**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्यावर्तित कुल व्यय	सक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2405-मछली पालन,101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं,-0102- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना -20- सहायताअनुदान -सामान्य (गैर वेतन) (240500101010220)	**4195.78**	**4223.98**	**28.20**	**28.20**	**4223.98**
योग-	**4195.78**	**4223.98**	**28.20**	**28.20**	**4223.98**

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- स्तम्भ-3 मे उपलब्ध बचत का कारण। पदो के रिक्त रहने के कारण।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(क) उक्त योजना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत पुनर्विनियोग के माध्यम से से धनराशि की मांग की जा रही है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर सं0 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है

संख्या- आर0ई0341 / ई-1-80 --दस-2020 दिनांकः 03 फरवरी, 2020

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम-कृपा शंकर यादव (अनु सचिव)
प्रशासकीय विभागः मत्स्य विभाग

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम- (नीलेश कुमार सिंह)
उप सचिव, वित्त।

संख्या: 7/2020 48 (1)/सत्रह-म-2020 दिनांकः 17 फरवरी,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।
2- सम्बंधित कोषाधिकारी लखनऊ।
3- निदेशक वित्तीय सांख्यकीय निदशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त आय-व्ययक अनुभाग1 तीन प्रतियों में ।
5- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग1
6- गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम- कृपा शकर यादव (अनु सचिव)
प्रशासकीय विभाग- मत्स्य विभाग ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com